न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।
उपस्थित–श्री सुशील कुमार शशि (एच0जे0एस0–यू0पी02001),
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0:–413 / 2026
सी0एन0आर0नं0–यू0पी0जे0पी0 010045862026

1. जानसन यादव पुत्र स्व0 लालता प्रसाद यादव
सा0मौ0–वनपुरवां देवापार, थाना मड़ियाहूं, जिला जौनपुर।
2. संजीव यादव उर्फ गोरे पुत्र श्यामबहादुर यादव
सा0मौ0–कल्यानपुर गुतवन, थाना नेवढ़िया, जिला जौनपुर।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0–117 / 2026
धारा–3(5), 191(2), 191(3), 118(1), 109(1), 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0
थाना–नेवढ़ियां, जिला जौनपुर।

19.06.2026

आवेदकगण / अभियुक्तगण जानसन यादव व संजीव यादव उर्फ गोरे के द्वारा मु0अ0सं0–117 / 2026, धारा–3(5), 191(2), 191(3), 118(1), 109(1), 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0, थाना–नेवढ़ियां, जिला जौनपुर में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा धीरेन्द्र यादव द्वारा थाना–नेवढ़ियां में इस आशय की तहरीर दी गयी है कि उसके चाचा का गौशाला महादेव मन्दिर के पास है, गौशाला पर उसका चाचा सूर्यनाथ यादव अकेले मौजूद थे कि दिनांक 16.05.2026 को समय करीब रात्रि 11 बजे जानसन यादव, सचिन यादव, पंकज यादव, भोलू यादव, संजीव यादव आये। ये उसके चाचा सूर्यनाथ यादव को गाली गुप्ता देते हुए राड, कुल्हाड़ी, चाकू व पिस्टल के वट से मारने लगे। शोर सुनकर आस पास के लोगों को आता देखकर जान से मारने की नीयत से लक्ष्य बनाकर फायर करते हुए भाग गये, उसके चाचा बाल बाल बचे व जाते समय जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। उपरोक्त के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदकगण / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण निर्दोष है तथा उन्हें राजनैतिक दुश्मनी के कारण फर्जी ढंग से अभियुक्त बनाया गया है। आवेदकगण का घटना से कोई संबंध नहीं है। आवेदकगण का वादी मुकदमा व उसके परिवार से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। आवेदकगण द्वारा न तो चोटहिल को मारा पीटा गया है, न ही किसी प्रकार का फायर किया गया है। आवेदकगण घटना के समय शहर से बाहर जिला इलाहाबाद में थे। आवेदकगण का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त आधारों पर आवेदकगण / अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अपराध गम्भीर प्रकृति का बताते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की।

उभय पक्ष के तर्को को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Digitally signed by SUSHIL KUMAR SHASHI
Date: 2026.06.19 16:28:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक 16.05.2026 को समय करीब 11 बजे रात्रि में वादी मुकदमा के चाचा को राड, कुल्हाड़ी, चाकू व पिस्टल के वट से मारने पीटने एवं जाते समय उनके उपर जान से मारने की नीयत से फायर करके गम्भीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। घ ाटनाक्रम की पुष्टि वादी मुकदमा एवं चोटहिल/गवाह ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में की है। केस डायरी के पर्चा नं03 में मजरूब ने कथन किया है कि समय करीब 11 बजे रात्रि में अभियुक्तगण जानसन यादव, सचिन यादव, पंकज यादव, भोलू यादव, संजीव यादव उर्फ गोरे आये और सुबह की घटना को लेकर गाली गुप्ता देते हुए लाठी, डण्डा, राड व असलहे की बट से मारने पीटने लगे। शोर पर गांव वाले आ गये। गावं वालो को आता देखकर संजीव यादव उर्फ गोरे ने उसे जान से मारने की नीयत से चाकू से उसके पेट व शरीर में कई जगह मारा जिससे वह गिर पड़ा और देव उर्फ सचिन यादव असलहा के बट से मारा और फायर करते हुए भाग गया।

पत्रावली पर उपलब्ध मजरूब की आघात आख्या में उसके शरीर पर 7 चोटें आने का अंकन किया गया है—1-Lacerated wound dorsal left hand 4cm X 0.5cm, X-Ray left forearm. 2- Lacerated wound 3cm X 0.5cm left lateral flank, 3cm X 0.5cm USG whole abdomen advised. 3- Incised wound lenght 4 cm Breadth 0.5cm with uniform borders and sharp edges, left flank/Hypogastric left lateral, USG whole abdomen advised. 4- Left knee lateral abraded contusion 6cm X 0.5cm. X-Ray left knee advised. 5- Left forearm radius ulna swelling dorso lateral. 6- Left elbow 2cm X 0.5 cm abraded contiusion, X-Ray Left elbow joint and left forearm. 7- 27cm X 3cm linear abraded contusion left scalpular region. अपराध गंभीर प्रकृति का है। प्रकरण में सहअभियुक्त सूरज उर्फ भोलू यादव की नियमित जमानत सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है। थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या में अभियुक्त जानसन यादव के विरूद्ध 11 व अभियुक्त संजीव यादव उर्फ गोरे के विरूद्ध 7 मामलों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण के द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों में गुण—दोष के आधार पर कोई विचार व्यक्त किये बिना अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण जानसन यादव व संजीव यादव उर्फ गोरे के द्वारा मु0अ0सं0—117/2026, धारा—3(5), 191(2), 191(3), 118(1), 109(1), 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0, थाना—नेवढ़ियां, जिला जौनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक—19.06.2026
लोकेश कुमार/—

(सुशील कुमार शशि)
जे0ओ0कोड—यू0पी02001
सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर।